



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर, (राज.)

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -

गायत्री सेवा संस्थान, तीणा नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 6, उदयपुर

PAN AAATG9231B

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 25.02.2010 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12एए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2010 को प्रस्तुत किया है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयबद्धि में है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12एए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा -12एए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 82/48 पर दर्ज कर लिया गया है।



Sd/-
(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक आ.आ./उदय/न्यायिक/12एए/2010-11/ 9285

दिनांक : 15.11.2010

- ✓ अध्यक्ष / न्यासी गायत्री सेवा संस्थान, तीणा नगर, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 6, उदयपुर।
- आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा -12एए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा -11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
 - अपर आयकर आयुक्त, रेंज-1, उदयपुर।



(के. आर बावल)
आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर